

# सार्वजनिक सूचना

निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने ज्ञापन संख्या एलसी-1608-वॉल्यूम-बी/जेई(एसजे)/2023/19247 के माध्यम से पॉलिसी संख्या पीएफ-51ए2015/2708 दिनांक 18-02-2015 के अनुसार दिनांक 16-06-2023 मेसर्स सिग्नेचरग्लोबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड को संयुक्त विकास के साथ-साथ लाभकारी हित में परिवर्तन और मेसर्स रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से आंशिक रूप से विपणन अधिकारों में परिवर्तन के लिए लाइसेंस संख्या 2008 का 33 दिनांक 19.02.2008 (उक्त लाइसेंस मूल रूप से एस ए इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दिया गया था, जिसका रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में विलय हो गया है) की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उक्त लाइसेंस ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में से 2.303 एकड़ क्षेत्रफल की भूमि जो ग्राम गाडौली कलां, सेक्टर-37डी, गुरुग्राम में स्थित 60.511 एकड़ भूमि के लिए दिया गया था।

उक्त सैद्धांतिक मंजूरी के अनुसार, निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने कंपनी को प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से लाभकारी हित में प्रस्तावित बदलाव के बारे में आम जनता को सूचित करने का निर्देश दिया है और तदनुसार नोटिस जारी किया गया है। उक्त जानकारी और सैद्धांतिक मंजूरी के बारे में यदि कोई आपत्ति है, तो उसे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर एसटीपी गुरुग्राम के कार्यालय में भेजा जा सकता है। दी गई उक्त अनुमति हमारी वेबसाइट <http://www.ramprastha.com/public-notice.asp> पर भी अपलोड/होस्ट की जा रही है।

एसडी/-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत ऑफ- प्लॉट नंबर 114, सेक्टर-44 गुड़गांव, हरियाणा-122002

स्थान-गुरुग्राम

दिनांक: 15 जुलाई 2023